उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-150/2015/आर-5349/26-3-2015-53मंत्री/2010

लखनऊः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

श्री अजय कुमार पोईया भूतपूर्व मा0 विधायक, निवासी 491/1 राधिका विहार मण्डी समिति चैराहा मथुरा द्वारा श्री श्याम सिंह अहेरिया पुत्र बदले सिंह निवासी-सराय आजमाबाद, तहसील व जनपद-मथुरा के सम्बन्ध में यह शिकायत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-314/2007 अजय कुमार पोईया बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य योजित की गयी कि श्री श्याम सिंह 'बहेलिया' अनुसूचित जाति के गलत प्रमाणपत्र पर गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र मथुरा की सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव जीते है जबकि उनकी जाति अहेरिया है अतएव याची द्वारा उक्त याचिका में श्री श्याम सिंह अहेरिया को तहसीलदार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त करने की मांग की गयी। उक्त याचिका में दिनांक-18.01.2010 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गयाः-

> In view of the judgement reported in 2008 (2) UPLBEC 1150 (Noman Masood Vs. State of U.P. and others), the order of cancellation of caste certificate passed by the Tehsildar, as impugned in this writ petition, stands quashed. However, the authority concerned is empowered to proceed as per the procedure prescribed in the said judgement.
>
> Accordingly, the writ petition is disposed of without imposing any cost. Order Date :- 18.1.2010

2- उक्त आदेश के क्रम में याची श्री अजय कुमार पोइया द्वारा जिला प्रशासन मथुरा को प्रत्यावेदन देते हुये श्याम सिंह अहेरिया को निर्गत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने की मांग की गयी। मा0उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन, मथुरा के स्तर से प्रकरण निस्तारित न होने पर याची श्री अजय कुमार पोईया द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या-5494/2015 श्री अजय कुमार पोईया बनाम् श्री सुनील कुमार, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन योजित की गयी है। उक्त अवमानना याचिका में दिनांक-18.09.2015 को पारित आदेश में प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक-23.11.2015 की तिथि निर्धारित की गयी।

3- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-18.01.2010 तथा 18.09.2015 का संज्ञान लेते हुये शासन के पत्र दिनांक-03.11.2015 द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा तथा निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ से अद्यतन आख्या मांगी गयी थी। प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक की तिथि दिनांक-21.11.2015 निर्धारित करते हुये उभय पक्षों को सूचित करते हुये बैठक में सुनवाई हेतु बुलाया गया था। उक्त तिथि को राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की बैठक सम्पन्न हुयी। समिति के समक्ष दोनों पक्ष (श्री श्याम सिंह अहेरिया एवं श्री अजय कुमार पोईया) उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पोईया, पूर्व विधायक द्वारा समिति के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गयेः-

(1)-श्री श्याम सिंह अहेरिया के कुटुम्बजन के भू-अभिलेख खतौनी 1347 फसली में कुटुम्बजनों के नाम के साथ जाति अहेरिया दर्ज होने सम्बन्धी अभिलेख की प्रति।

(2)-श्री श्याम सिंह अहेरिया की पुत्रियां किरन देवी व रानी कुमारी के टी.सी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति जिसमें पुत्रियों की जाति में अहेरिया दर्ज है।

(3)-जमीन के विक्रय अभिलेख की छायाप्रति जिसमें श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा जमीन बेचते समय विक्रय अभिलेखों में यह अंकित किया गया है कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य नही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा दिनांक-22.10.2008 को जनपद-हाथरस में अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के तत्वाधान में अहेरिया समाज को अनुसूचित जनजाति के कोटे में रखें जाने हेतु आहूत रैली हेतु मुद्रित पैम्पलेट की प्रति एवं अगरिया एवं अहेरिया जाति के जातीय इतिहास सम्बन्धी साहित्य की प्रति।

श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा समिति के समक्ष अपने को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का होने के सम्बन्ध में निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गयेः-

(1)-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के आदेश पत्रांक-753/जे.ए.-11/2003, दिनांक-22.05.2003 द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उपजिलाधिकारी से करायी गयी जाँच रिपोर्ट दिनांक-20.05.2003 की प्रति।

(2)-उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्णय दिनांक-27.06.2003 की प्रति।

(3)-जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र दिनांक-26.04.2008 द्वारा सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित आख्या तथा पत्रांक-118/नौ-बी/वि लि./2008, दिनांक-19.05.2008 द्वारा शासन को प्रेषित आख्या की प्रति तथा तहसीलदार मथुरा की आख्या दिनांक-08.12.2007 की प्रति

(4)- तहसीलदार मथुरा की आख्या दिनांक-20.02.2008 की प्रति जिसमें 136 बहेलिया जाति के व्यक्तियों की आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह को बहेलिया जाति का होने की पुष्टि की गयी।

(5)- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की आख्या दिनांक-18.01.2010 की प्रति तथा सी.बी.सी.आई.डी. की आख्या दिनांक-06.06.2008 की प्रति

(6)-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनपद-मथुरा के बहेलिया जाति (जिसमें श्री श्याम सिंह की जाति सत्यापन भी सम्मिलित है) के स्थलीय सत्यापन की आख्या की प्रति।

(7)-मा0 उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित (श्री श्याम सिंह द्वारा विधान सभा का चुनाव अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट से लड़ने पर योजित इलेक्शन पीटीशन) आदेश दिनांक-10.03.2003, 11.12.2003, 09.11.2005, 03.04.2006 एवं 17.05.2006 की प्रति।

(8)-श्री श्याम सिंह ने अपने रिस्तेदार श्री लालाराम पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी-ग्राम दौताना तहसील-छाता जनपद-मथुरा की जाति के सम्बन्ध में मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा मण्डल आगरा के निर्णय दिनांक-19.03.2012 की प्रति तथा राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय दिनांक-05.09.2011 की प्रति इत्यादि सम्बन्धी अभिलेख।

4- शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पोईया, पूर्व विधायक, गोबर्धन क्षेत्र मथुरा द्वारा समिति के समक्ष यह बताया गया कि वर्ष 1991 में दिनांक-08.03.1991 एवं दिनांक-24.05.1995 को तहसीलदार मथुरा द्वारा श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह को 'अगरिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया तथा पुनः श्री श्याम सिंह को दिनांक-16.07.2001 को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-18468 निर्गत किया गया तथा यह भी बताया गया कि अभी भी जिला प्रशासन, मथुरा द्वारा अहेरिया जाति के लोगों को बहेलिया अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

5- राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया तथा समिति ने विचारोपरान्त अपनी बैठक दिनांक-21.11.2015 में यह निर्णय लिया कि प्रकरण में जिलाधिकारी, मथुरा से इस बिन्दु पर स्पष्ट रिपोर्ट/सूचना प्राप्त की जाय कि वर्ष 1990 से अब तक कितने 'अहेरिया' जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है? तथा उनकी वर्तमान में क्या वैधता है? तथा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि श्री श्याम सिंह अहेरिया की जाति सत्यापन के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या जिला प्रशासन से प्राप्त की जाय। तदोपरान्त सम्यक्स्थिति एवं विधिक बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाना युक्तियुक्त होगा। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की उक्त बैठक दिनांक-21.11.2015 का कार्यवृत्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5029ए/26-3-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2015-53मंत्री/2010, दिनांक-21.11.2015 निर्गत किया गया एवं तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक-21.11.2015 द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा से निम्नवत् बिन्दु पर स्पष्ट आख्या मांगी गयी थीः-

- वर्ष 1990 से अब तक कितने 'अहेरिया' जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है तथा उनकी वर्तमान में क्या वैधता है?
- श्री श्याम सिंह अहेरिया को समय-समय पर भिन्न-भिन्न जातियों 'अगरिया' एवं 'बहेलिया' का निर्गत किये गये जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या दी जाय?

6- उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक-180/नौ-बी/वि.लि./2015, दिनांक-15.12.2015 द्वारा तहसीलदार मथुरा,, छाता, माट, महावन एवं गोबर्धन से जाँच कराकर शासन को निम्नवत् आख्या उपलब्ध करायी गयीः-

- वर्ष 1990 से अब तक तहसील मथुरा से 'अहेरिया' जाति के अन्तर्गत 02 प्रमाण पत्र जारी किये गयेः-

(क) प्रमाण पत्र संख्या-3040 दिनांक-11.12.1991 भगवान देवी पत्नी निनुआ राम निवासी जैंत।

(ख) प्रमाण पत्र संख्या-1764 दिनांक-08.06.1994 निनुआ पुत्र जाहरिया निवासी जैंत।

- श्री श्याम सिंह अहेरिया को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 'अगरिया' जाति के निम्न प्रमाण पत्र तहसील मथुरा से जारी किये गयेः-
  (क) प्रमाण पत्र संख्या-1050 दिनांक-08.03.1991
  (ख) प्रमाण पत्र संख्या-2098 दिनांक-24.03.1995

उपरोक्त दोनो प्रमाण पत्र तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक-19.04.2008 को निरस्त कर दिये गये।

- श्री श्याम सिंह पुत्र बदले निवासी सराय आजमाबाद को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत 'बहेलिया' जाति के निम्न प्रमाण पत्र तहसील मथुरा से जारी किये गये हैः-
  (क) प्रमाण पत्र संख्या-13940 दिनांक-20.08.1996
  (ख) प्रमाण पत्र संख्या-18468दिनांक-21.07.2001
  (ग) प्रमाण पत्र संख्या-2810 दिनांक-02.08.2011

7- प्रकरण के संबंध में निदेशक, अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-954/1-30/शो0प्र0सं0 दिनांक-20.11.2015 द्वारा आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। निदेशक, अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने अपने उक्त आख्या दिनांक-20.11.2015 में अपने पूर्व पत्र दिनांक-16.11.2009 एवं दिनांक-16.04.2009 एवं शोध संस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट/सत्यापन आख्या दिनांक-18.01.2010 एवं जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक-119 दिनांक-29.08.2005 उपलब्ध कराते हुये निष्कर्ष रूप में यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पोइया पूर्व विधायक, मथुरा के शिकायती पत्र के साथ संलग्न 226 लोगों के प्रमाण पत्रों की जो सूची दी गयी थी उसका वर्ष 2009-10 में सत्यापन/जाँच की गयी और जनपद-अलीगढ़, इटावा, मथुरा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुरनगर, मुरादाबाद एवं मैनपुरी के सत्यापन में यह पाया गया कि सामान्य भाषा में स्थानीय स्तर पर 'बहेलिया' अथवा 'करवल' जाति के सदस्यों को अहेरिया नाम से जानते/पुकारते है और यह अहेरिया शब्द का प्रयोग भी करते है। इन सभी सदस्यों के अग्रज परिवारों को विगत 05-06 दशकों से 'बहेलिया' अथवा 'करवल' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल रहे हैं जिन्हें बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य/सबुत के निराधार नही माना जा सकता। निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ ने अपनी उक्त आख्या दिनांक-20.11.2015 में जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक-753/जे0ए0-द्वितीय/2003, दिनांक-22.05.2003 द्वारा मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग लखनऊ को प्रेषित आख्या में उद्धवत अंश का भी उल्लेख किया है जिसमें श्री अजय कुमार पोइया, पूर्व विधायक की शिकायत पर श्री श्याम सिंह मा0 विधायक की जाति विषयक प्रकरण की श्री राजेश कुमार, उपजिलाधिकारी, मथुरा से जाँच करायी गयी। जाँच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक-20.05.2003 में अंकित है कि श्री श्याम मा0 विधायक तहसीलदार मथुरा द्वारा जारी 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उचित व वैध है जांच में श्री अजय कुमार पोइया, पूर्व विधायक की यह शिकायत कि श्री श्याम सिंह पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के हैं, निराधार पायी गयी।

जिलाधिकारी मथुरा द्वारा शासन को संबोधित पत्र सं0-119/नौ0 बी/वि0लि0/2008 दिनांक 23 मई 2008 में श्री अजय कुमार पोइया पूर्व विधायक मथुरा के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में लिखा है कि जनपद स्तर पर कराई गई सभी जांचों में जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूची में सभी प्रमाण पत्र बहेलिया जाति के लोगों को जारी हुये है जब कि षिकायतकर्ता द्वारा श्री श्याम सिंह को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का न होकर 'अहेरिया' जाति का बताया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में श्री पोइया द्वारा दाखिल याचिकाये निरस्त हो चुकी है तथा उ0प्र0 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग में इनकी षिकायत बलहीन पायी गई है। जिलाधिकारी, मथुरा ने उक्त पत्र दिनांक-23.05.2008 में अनुसूचित जाति शोध संस्थान उ0प्र0 की सर्वेक्षण रिपोर्ट की अध्याय-5 पृष्ठ संख्या-38 में उद्धवत की गयी आख्या का उल्लेख करते हुये यह अवगत कराया गया है कि अहेरिया की मूल जाति वास्तव में 'बहेलिया' है चूंकि बहेलिया शब्द निम्नस्तर का वोधक है इसलिए समाज में सम्मान पाने की लालसा में इन्होने 'अहेरिया' नाम कहना/कहलाना प्रारम्भ किया कालान्तर में यह 'अहेरिया' नाम से इतना प्रसिद्ध हो गये है कि 'बहेलिया' शब्द ही इनके बीच से लुप्तप्रायः हो गया।

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री अजय कुमार पोइया पूर्व विधायक द्वारा श्री श्याम सिंह अहेरिया के अनुसूचित जाति का न होने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-8/2002 (सम्प्रति इलेक्शन पिटीशन) दाखिल की गयी थी जिसमें पारित निर्णय दिनांक-10.03.2003 में यह माना है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर श्री अजय कुमार पोइया की याचिका स्वीकार योग्य नही है और उसे निरस्त कर दिया गया। श्री पोइया द्वारा इस सम्बन्ध में अपील मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय से भी अपील निरस्त हो गयी। इस प्रकार जनपद स्तर पर करायी गयी सभी जाँचों में जाँच अधिकारियों द्वारा यही लिखा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में जारी सभी प्रमाण पत्र 'बहेलिया' जाति के लोगों को ही जारी किये गये है, जबकि शिकायतकर्ता श्री अजय कुमार पोइया द्वारा इन्हें 'अहेरिया' जाति का बताया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा दाखिल याचिकायें निरस्त हो चुकी है तथा मा0 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग में भी इनके द्वारा की गयी शिकायत बलहीन पायी गयी है।

निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान ने अपने पत्र दिनांक-16.04.2009 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 में 66 जातियां अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित है जिनमें से एक 'बहेलिया' जाति भी है, परन्तु अहेरिया जाति अंकित नही है। संस्थान की रिपोर्ट में बहेलिया जाति की जनपदवार जनसंख्या का निम्नवत् विवरण उपलब्ध कराया गया हैः-

जनपद का नाम	जनपदसंख्या वर्ष्वार				
	1961	1971	1981	1991	2001
मथुरा	294	493	84	663	266
एटा	628	1393	2576	5509	9233
अलीगढ़	-	640	1819	4930	2333

श्री अजय कुमार पोइया पूर्व विधायक द्वारा जिन 226 लोगों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्रों की सूची संलग्न की गयी थी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा ने निर्गत जाति प्रमाण पत्रों के सन्दर्भ में 126 व्यक्तियों की पुनः जाँच करायी गयी जिसमें उनके बहेलिया जाति के होने की पुष्टि हुयी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने संस्थान स्तर से भी वर्ष 2008-09 में 29 परिवारों (जनपद-मथुरा के 15, जनपद-एटा के 08, जनपद-कांशीरामनगर के 04 एवं जनपद-हाथरस के 02) परिवारों की स्थलीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सत्यापन किया गया था जिसमें श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह, निवासी सरायं-आजमाबाद-मथुरा को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संख्या-18468 दिनांक-16.07.2002, संख्या-1050 दिनांक-08.03.1991 एवं पत्र संख्या-2098 दिनांक-24.05.1995 को बहेलिया अनुसूचित जाति का होना पाया गया। शोध संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार मथुरा की भौतिक जाँच सत्यापन रिपोर्ट जो उपजिलाधिकारी-मथुरा को प्रस्तुत की गयी थी के अनुसार जनपद-मथुरा में निवासित सभी व्यक्तियों जिन्हें बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है को सही होने पुष्टि की गयी। शोध संस्थान की उक्त आख्या में बहेलिया जाति के जातीय इतिहास के सम्बन्ध में भी अंकन किया गया है जिसमें वर्ष 1896 में प्रकाशित पुस्तक The Tribes and Castes of North Western India esa **"Willium Crooke"** ने Aherias और Baheli के विषय में निम्न बातें लिखी हैः-

A tribes of hunters fowlers and thieves found in central duab.

H.M. Elliot-Branch of Dhanuks

A tribe in Punjab- known as Aheri, who are very probably a kin to the Aheriyas of the North West provinces. they trace their origin to Rajputana, and especially Jodhpur and the prairies of Bikaner. They are vagrants in their habits but not infrequently settled down in village where they find employment. They catch and eat all kinds of wild animals,pure of impure and work in reeds and grass.

The most probale theory seems to be that the Aheriyas of these provinces are connected with the Bhil and their congeneners, the Bheliya, who are a race of Jungle hunters and fowlers.

Baheliyas:- [Sans Vyadha," one who pierces or wounds" " a hunter" " root, Vyadh, to pierce a class of hunters and fowlers.

In Bengal, according to Mr.Risley, they insist on their title to be considered Dusadhs, and though they do not intermarry, behave generally as if they were branches of the same stock. This dose not seem to be the case in these Provinices, where they usually call themselves a sub-caste of pasis.

The Aheriyas, as will be seen by their account of themselves give in the article on the caste, profess to be identical with the Baheliyas. They are probably a relic of some non-Aryan tribe ; which still adheres in a great measure to the primitive occupation of hunting, brid trapping and collecting jungle produce.

DR.S.S shashi Dr. P.S. Varma

A Socio-History of Ex-Criminal communities OBCs में DR.S.S shashi Dr. P.S. Varma ने प़0 45 पर अहेरिया बहेलिया के सम्बन्ध में निम्न बातें लिखी है-

Aherias or Bahelias or Aheris or Heris:- they are notices as a Criminal tribe in nine Districts of the Uttar Pradesh, Patiala and East Punjab States Union and the Punjab.

Sir Dentil Ibbetson in his " Punjab Castes" States that Thoris and Aheria of Punjab are the same, and that they are, by heredity, hunters and fowlers.

They are vagrant in their habits but settle down in villages if they find employment. They catch and eat all sorts of wild animals. They have now mostly setted down in villages.

According to the Uttar Pradesh report, they have a strong panchyat and crime is fast disappearing from their midst. They are not nomadic now.

Aherias are listed as Scheduled Castes in the Uttar Pradesh.

शोध संस्थान ने अपनी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर अहेरिया, बहेलिया को एक समान बताया है। दोनो जातियों में वैवाहिक सम्बन्ध है 'बहेलिया' जाति के लोग टाईटिल के रूप में 'अहेरिया' लिखते है।

8- राज्य स्तरीय स्क्रूटनी की बैठक दिनांक-21.12.2015 को पुनः आहूत की गयी थी। उक्त बैठक में जिला प्रशासन, मथुरा से तहसीलदार (न्यायिक) स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा जिलाधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक-15.12.2015 की प्रति उपलब्ध करायी गयी। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने अभिलेखों के अनुशीलन में निम्नवत् स्थिति पायी गयीः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- श्री अजय कुमार पोइया द्वारा कुटुब्बी (वंश वृक्ष) तैयार कर बताया है कि श्री श्याम सिंह अहेरिया के पूर्वज ग्राम-सकना व सराय आजमावाद, जिला-मथुरा के निवासी थे। श्री श्याम सिंह अहेरिया के कुटुब्ब जनों के पास ग्राम सकना में भू अभिलेख 1347 फसली में जाति अहेरिया दर्ज है।
- श्री श्याम सिंह की पुत्रियां रानी कुमारी व किरन देवी की षिक्षा श्रीमती चमेली देवी खण्डेवाल गल्स इण्टर कालेज, मथुरा में हुई है स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में रजिस्टर नं0-12453,रजिस्टर नं0-8391 में जाति अहेरिया व धर्म हिन्दू अंकित है।
- श्री अजय कुमार पोइया द्वारा अभिलेख वैनामा दिया गया जिसमें श्री श्याम सिंह अहेरिया व अन्य भूमि हिस्सेदारों ने दिनांक 13-09-1990 में एक भूमि का विक्रय किया और विक्रय पत्र में दर्शाया कि हम विक्रेतागण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।
- यह है कि श्री श्याम सिंह अहेरिया द्वारा सहायक चकबन्दी अधिकारी, मथुरा में श्रीमती वन्दना आदि बनाम नन्द कुमार में मुकदमा सं0 93 स्न 1990 मौजा नरसिंह पुरा बांगर वाद में दिनांक 11-04-1990 को उक्त वाद में शपथ पत्र दिया कि क्रेता व विक्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नही है। जिसमें श्री श्याम सिंह व अन्य विक्रेता पक्ष है।
- श्री अजय कुमार पोइया द्वारा श्री श्याम सिंह का उ0प्र0 विधान सभा प्रवेष पत्र सरनेम अहेरिया का साक्ष्य दिया गया जिसमें अनुसूचित जाति अंकित पाया गया परिचय पत्र में श्री श्याम सिंह अहेरिया लिखा है।
- जिलाधिकारी, मथुरा के पत्रांक-753/जे0ए0-द्वितीय/2003, दिनांक-22.05.2003 द्वारा मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग लखनऊ को (श्री श्याम सिंह की जाति विवाद सम्बन्धी शिकायत के सम्बन्ध में) प्रेषित आख्या में यह उल्लेख किया है जिसमें श्री अजय कुमार पोइया, पूर्व विधायक की शिकायत पर श्री श्याम सिंह मा0 विधायक की जाति विषयक प्रकरण की उपजिलाधिकारी, मथुरा से जाँच करायी गयी। जाँच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक-20.05.2003 में अंकित है कि श्री श्याम सिंह, मा0 विधायक को तहसीलदार, मथुरा द्वारा जारी 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र उचित व वैध है जांच में श्री अजय कुमार पोइया, पूर्व विधायक की यह शिकायत कि श्री श्याम सिंह पिछड़ी जाति या सामान्य जाति के हैं, निराधार पायी गयी।
- जिलाधिकारी मथुरा द्वारा शासन को संबोधित पत्र सं0-119/नौ0बी/वि0लि0/2008 दिनांक 23 मई 2008 (श्री अजय कुमार पोइया पूर्व विधायक मथुरा द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में योजित लोक शिकायत सन्दर्भ के सम्बन्ध में) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि जनपद स्तर पर कराई गई सभी जांचों में जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सूची में सभी प्रमाण पत्र 'बहेलिया' जाति के लोगों को जारी हुये है जब कि षिकायतकर्ता द्वारा श्री श्याम सिंह को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का न होकर 'अहेरिया' जाति का बताया जाता है मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में श्री पोइया द्वारा दाखिल याचिकाये निरस्त हो चुकी है तथा उ0प्र0 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग में इनकी शिकायत बलहीन पायी गई है।
- जिलाधिकारी, मथुरा ने उक्त पत्र दिनांक-23.05.2008 में अनुसूचित जाति शोध संस्थान उ0प्र0 की सर्वेक्षण रिपोर्ट की अध्याय-5 पृष्ठ संख्या-38 को उद्धवत करते हुये यह अवगत कराया गया है कि अहेरिया की मूल जाति वास्तव में 'बहेलिया' है चूंकि बहेलिया शब्द निम्नस्तर का बोधक है इसलिए समाज में सम्मान पाने की लालसा में इन्होने 'अहेरिया' नाम कहना/कहलाना प्रारम्भ किया कालान्तर में यह 'अहेरिया' नाम से इतना प्रसिद्ध हो गये है कि 'बहेलिया' शब्द ही इनके बीच से लुप्तप्राय हो गया। संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रमाण पत्र 1981 से जारी होना अंकित है।
- जिलाधिकारी मथुरा के पत्र सं0-103/नौ0बी/वि0लि0/2008 दिनांक 06-05-208 द्वारा सम्बंधित अधिकारियों से सूची के अनुसार जांच करवाई जिसमें उपजिलाधिकारी मथुरा ने अपने पत्र सं0-635

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आशु0लि0/2008 दिनांक 12 मई 2008 द्वारा निर्णय दिया कि संलग्न सूची में अंकित नाम के व्यक्ति बहेलिया जाति के पाये गये अहेरिया जाति की मूल जाति बहेलिया मानते हुये कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया। सभी प्रमाण पत्र धारक 'बहेलिया' जाति के व्यक्ति है।

- मण्डलीय अपीलीय फोरम, आगरा मण्डल, आगरा के निर्णय पत्रांक-110/अपीलीय फोरम/जा0प्र0पत्र/2011-12, दिनांक-09.05.2011 द्वारा श्री लालाराम पुत्र श्री हुकुम सिंह निवासी-दौताना, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा (जो श्री श्याम सिंह के मामा है की जाति सम्बन्धी प्रकरण में) श्री लालाराम को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का माना गया है।
- शासन के पत्र सं0-993/26-3-2008-3(12)/90 दिनांक 24 जुलाई 2008के क्रम में निदेश्क, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा करायी गयी उच्च स्तरीय जांच/सत्यापन रिपोर्ट में जनपद-मथुरा के जिन 226 नामों की सूची की जांच की गयी उसके निष्कर्ष में पाया गया कि अहेरिया एक विस्तृत समूह अथवा टाइटिल नाम है जिसके उपसमूह बहेलिया, करवल आदि अनेको है और तहसीलदार/जिलाधिकारी द्वारा दी गई बार-बार जांच में इनके प्रमाण पत्र सही पाये गये अतः अब इनको जारी प्रमाण पत्रों को फर्जी/गलत प्रमाण पत्र मानने का कोई आधार प्रतीत नही होता।
- शासनादेश् संख्या-3254/26-3-2010 दिनांक 02 नवम्बर 2010 द्वारा स्पष्ट किया गया है शासनादेश् सं0-4370/26-3-2001-3(28)/78, दिनांक 27-9-2001 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश् में जाति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाते समय आवेदकों द्वारा नाम के समक्ष लगाये जा रही किसी प्रकार की उपाधि अथवा टाइटिल को सम्बन्धित व्यक्ति के जाति निर्धारण का आधार न माना जाय बल्कि अन्य पहलुओं पर भी जांच/पुष्टि कर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाय।
- शोध सर्वेक्षण की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जनपद-मथुरा, अलीगढ़, एटा, महामाया नगर के निवासी जो अपने आपको अहेरिया नाम से सम्बोधित करते हैं मूलतः बहेलिया जाति के है और कही-कही पर ये करवल अथवा पसिया नाम से भी जाने जाते है। इनके आपस में खान-पान व रोटी-बेटी के संबंध पाये गये तथा अहेरिया कहे जाने वाले लोगों की लड़कियो का विवाह केवल बहेलिया कहे जाने वाले परिवारों में ही होता है। पूर्ण सत्य नही है, बल्कि इसके उल्टे बहेलिया कहे जाने वाले परिवारों की पुत्रियां अहेरिया कहे जाने वाले परिवारों में भी पायी गई तथा इसके विपरीत अहेरिया कहे जाने वाले परिवारों की पुत्रियां बहेलिया नाम से जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों में भी पायी गयी ।

9- अतएव राज्य स्तरीय स्कुरटनी कमेटी ने प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों/अभिलेखों के विवेचन में पाया कि श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह निवासी-सरायं आजमाबाद, तहसील व जनपद-मथुरा को जिला प्रशासन मथुरा द्वारा दिनांक-08.03.1991 एवं दिनांक-24.03.1995 को 'अगरिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। कालान्तर में श्री अजय कुमार पोइया, एडवोकेट के शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुये तहसीलदार, मथुरा द्वारा राजस्व निरीक्षक, मथुरा से जांच करायी गयी तथा श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह का बयान लिया गया जिसमें श्री श्याम सिंह ने यह बताया कि उनके द्वारा 'अगरिया' जाति का कोई जाति प्रमाण पत्र जारी ही नही कराया गया है उनके किसी राजनीतिक प्रतिद्वन्दी द्वारा उनके नाम से 'अगरिया' जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया जबकि उनकी जाति 'बहेलिया' है। तदोपरान्त, तहसीलदार मथुरा के पत्रांक-447 दिनांक-19.04.2008 द्वारा श्री श्याम सिंह को निर्गत 'अगरिया' अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। जांचोपरान्त श्री श्याम सिह अहेरिया की जाति 'बहेलिया' पाये जाने पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह निवासी-सरायं आजमाबाद, मथुरा को 'बहेलिया' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-13940, दिनांक-20.08.1996, प्रमाण पत्र संख्या-18468 दिनांक-21.07.2001 एवं प्रमाण पत्र संख्या-2810, दिनांक-02.08.2011 समय-समय पर निर्गत किये गये। श्री श्याम सिंह पुत्र बदले सिंह को 'अगरिया' जाति का जाति प्रमाण पत्र कभी निर्गत नही हुआ है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह उल्लेख किया गया कि तहसील, मथुरा में वर्ष 1990 से अब तक 'अहेरिया' जाति के 02 प्रमाण पत्र संख्या-3040, दिनांक-11.12.1991 (भगवान देवी पत्नी निनुआराम, निवासी जैत) तथा प्रमाण पत्र संख्या-1764, दिनांक-08.06.1994 (निनुआ पुत्र जाहरिया निवासी, जैत) निर्गत किये गये। स्क्रूटनी कमेटी ने प्रकरण के परीक्षण में यह पाया गया कि 'अहेरिया' जाति न तो प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में और न ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में 'अहेरिया' जाति के उपरोक्त 02 प्रमाण पत्र किन प्रयोजन से जिला प्रशासन, मथुरा द्वारा निर्गत किये गये यह समिति के समझ से परे है। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की उक्त बैठक दिनांक-22.12.2015 को तहसीलदार (न्यायिक) मथुरा उपस्थित हुये उनके द्वारा भी श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह निवासी-सरायं आजमाबाद, मथुरा की जाति 'बहेलिया' अनुसूचित जाति होने की पुष्टि की गयी।

10- अतएव उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों जिलाधिकारी, मथुरा की आख्या दिनांक-22.05.2003, दिनांक-19.05.2008, दिनांक-06.05.2008 एवं दिनांक-15.12.2015 तथा निदेशक, अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की आख्या दिनांक-16.11.2009, दिनांक-18.01.2010 एवं अद्यतन आख्या दिनांक-20.11.2015, उ0प्र0,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्णय दिनांक-27.06.2003 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की सर्वेक्षण/सत्यापन रिपोर्ट 2009 के निष्कर्षो इत्यादि के सम्यक् अनुशीलनोपरान्त राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बदले सिंह निवासी-सरायं आजमाबाद, मथुरा 'बहेलिया' अनुसूचित जाति के सदस्य है।

अतएव रिट याचिका संख्या-314/2007 अजय कुमार पोइया बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-18.01.2010 के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण को उपरोक्तानुसार एततद्वारा निस्तारित किया जाता है।

घनाराम निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ	केदारनाथ निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ	सुनील कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0 शासन

<u>पृ0 संख्या-150/2015/आर-5349(1)/26-3-2015तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4. श्री अजय कुमार पोईया भूतपूर्व मा0 विधायक, निवासी 491/1 राधिका विहार मण्डी समिति चैराहा मथुरा।
5. श्री श्याम सिंह अहेरिया पुत्र बदले सिंह निवासी-सराय आजमाबाद, तहसील व जनपद-मथुरा।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in